कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

संख्याः–10244/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2019–20 :दिनांकःमार्च, 24,2019

ई–टेण्डर सम्बन्धी विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग के शासनादेश संख्या–114/2018/4030 ई–2/तेरह–2018–02/2018 दिनांक 25.12.2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिनांकः 01.04.2019 से 31.03.2020 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति में वर्णित प्रक्रिया द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग व माडल शाप्स की फुटकर दुकानें जिनका तृतीय चरण तक **व्यवस्थापन नहीं हो पाया है,** का वर्ष 2019–20 हेतु, चतुर्थ चरण का व्यवस्थापन शासन के पत्र संख्या 644 ई–2/तेरह–2019–02/2018 लखनऊ दिनांक 23.03.2019 के अनुसार दिनांक 26.03.2019 से दिनांक 02.04.2019 के मध्य ई–टेण्डर/ऑफर के माध्यम से कराया जाएगा। तत्क्रम में ई–टेण्डर/ऑफर हेतु निम्नलिखित प्रकिया निर्धारित की जाती है–

1– वर्ष 2019–20 हेतु देशी मदिरा की दुकानों के चौथे चरण का व्यवस्थापन ई–टेण्डरिंग प्रणाली के अनुसार गत वर्ष 2018–19 के व्यवस्थित वार्षिक एम0जी0क्यू0 अथवा इन दुकानों पर हुये वार्षिक उपभोग/आंकलित समानुपातिक वार्षिक उपभोग के समतुल्य एम0जी0क्यू0 जो अधिक हो पर आफर/प्रस्ताव प्राप्त करते हुये प्राप्त उच्चतम एम0जी0क्यू0 के प्रस्तावक के पक्ष में सम्बन्धित दुकान व्यवस्थित की जायेगी। देशी मदिरा दुकानों का निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0 का विवरण जनपद स्तर पर पोर्टल पर प्रदर्शित/विज्ञापित किया जायेगा।

2– वर्ष 2019–20 हेतु विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं माडल शाप्स का चौथे चरण का व्यवस्थापन ई0–टेण्डरिंग प्रणाली के अनुसार गत वर्ष 2018–19 के व्यवस्थित वार्षिक लाइसेंस फीस पर आफर/प्रस्ताव प्राप्त करते हुये प्राप्त उच्चतम लाइसेंस फीस के प्रस्तावक के पक्ष में सम्बन्धित दुकान का व्यवस्थापन किया जायेगा। विदेशी मदिरा, बीयर, भांग एवं माडल शाप्स की निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस का विवरण जनपद स्तर पर पोर्टल पर प्रदर्शित /विज्ञापित किया जायेगा।

3– मदिरा एवं भांग की दुकानों हेतु प्राप्त आफर में सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0/वार्षिक लाइसेंस फीस के ई–टेण्डर/आफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान ई–टेण्डर/आफर प्राप्त होते हैं, तब जनपद स्तर पर ही मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई–टेण्डर/आफर में से एक को चुन कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।

4– देशी मदिरा की दुकान के संदर्भ में स्वीकृत एम0जी0क्यू0 को 12 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जायेगा। इसी प्रकार विदेशी मदिरा/बीयर/भांग व माडल शाप की फुटकर दुकान के संदर्भ में स्वीकृत वार्षिक लाइसेंस फीस को रू0 5000/– के अगले गुणांक में निर्धारित किया जायेगा।

5– व्यवस्थापन की शेष शर्तें इसके पूर्व के व्यवस्थापन के समान ही पूर्ववत रहेंगी।

6– तृतीय चरण के बाद अवशेष दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्पूर्ण भारतवर्ष के निवासियों से ऑनलाइन ई–टेण्डर आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता हैः–

1.	Tender publishing date	26-03-2019 at 15:30
2.	Document download start date	26-03-2019 at 15:30
3	Document download end date	01-04-2019 at 09:30
4.	Pre bid meeting date	27-03-2019 at 16:00
5.	Bid submission start date	26-03-2019 at 17:30
6.	Bid submission closing date	01-04-2019 at 09:30
7	Technical bid opening date	01-04-2019 at 10:30
8.	Financial bid opening date	02-04-2019 at 14:00
9.	The place of bid opening	As decided by the Collector
10.	Tender inviting officer	Collector

7– देशी मदिरा की दुकान हेतु सम्बन्धित दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित बेसिक लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत तथा विदेशी मदिरा, बीयर, भांग व माडल शाप की लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की **धरोहर धनराशि** बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जो कि **संबंधित**

Scanned by CamScanner

जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के नाम बना हो, ही स्वीकार्य किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक धरोहर धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी।

8– प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर दुकान हेतु रू0 18,000/–, माडल शाप्स की दुकान हेतु रू0 25,000/–एंव भांग की दुकान हेतु रू0 5,000/– प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रक्रिया के रूप में देय होगा। इस पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगा। प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पर **प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी0** अनिवार्य रूप से एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग) और सहायक लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश एक्साइज **(DEC L AND AAO UPEXCISE PRAYAGRAJ)** के पदनाम से पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खंड लखनऊ स्थित बचत खाता संख्या 4483000100050375 में जमा करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खंड, लखनऊ शाखा का आई0एफ0एस0सी0 कोड PUNB0448300 है।

9– बिड जमा करने से सम्बन्धित दिग्दर्शिका आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexcise.in पर 'ऑनलाइन बिड सब्मिशन' शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है।

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा एवं भांग दुकानों हेतु उक्त वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा एवं भांग की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा। मदिरा एवं भांग की दुकान के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दुकानों के न्यूनतम् वार्षिक एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस सहित आबकारी विभाग की वेबसाईट www.upexcise.in पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे। ई–टेण्डरिंग सम्बन्धी कार्य हेतु सहायक आबकारी आयुक्त, (कार्मिक एवं अधिष्ठान) मुख्यालय विभागीय नोडल अधिकारी हैं। इससे सम्बन्धित किसी पृच्छा के लिये सहायक आबकारी आयुक्त (कार्मिक एवं अधिष्ठान) मुख्यालय एवं अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) उ0प्र0 उपलब्ध रहेंगे। किसी जनपद में उपरोक्त समय सारणी से विचलन की स्थिति में सम्बन्धित जनपद द्वारा www.etender.up.nic.in पर शुद्धि पत्र आवश्यकतानुसार प्रदर्शित किया जायेगा।

(पी0 गुरू प्रसाद)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner